**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1894**

**29 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**सैन्य कर्मियों की वेतन और पेंशन संबंधी शिकायतों की**

**जांच करने के लिए समिति**

**1894. श्री अरविंद कुमार सिंहः**

**श्री प्रभात झाः**

**श्रीमती कुसुम रायः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की एक रैंक, एक पेंशन सहित वेतन और पेंशन संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए मत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और उक्त समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति में थल सेना, नौसेना और वायु सेना को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या मंत्रालय द्वारा सेना में व्याप्त असन्तोष के बारे में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा गया है और समिति में सेना को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो उस पत्र पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर  
रक्षा मंत्री ( श्री ए. के. अन्टनी )**

(क) से (च) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव; रक्षा सचिव; सचिव, व्यय विभाग; सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग शामिल हैं । तत्कालीन व्यय विभाग के प्रभारी सचिव का प्रभार सचिव, राजस्व विभाग के रूप में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप सचिव, राजस्व विभाग को भी इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । नौसेनाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, सेनाध्यक्षों की समिति ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया । समिति ने सभी सेनाध्यक्षों (नौसेनाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, सेनाध्यक्षों की समिति, वायुसेनाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष) से आगे विचार–विमर्श किया । समिति की सिफारिशें प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी गई हैं ।

**\*\*\*\*\***\*